

21.10.24

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी ~~अथ राजकार्य के~~
होने से प्रकरण दिनांक 24/10/24
को पेश हों।

आज्ञा से

(९)

रीडर

24.10.24

सत्रावली पेश हुई जहाँ दृष्टिगत आउपासिता प्रकरण नामिल हेतु
नित ही प्रकरण का मूलबंद 09RS, 8 में खारिज होने से अब कोई
कार्यवाही शेष नहीं रहती है।
अतः हस्तगत प्रकरण का भी आदेश नमित्त 5, 8 के तहत
अदम हाजरी- अदम पैरवी एवं अदम नमित्त में खारिज किया जाता
है। निर्णय सेर इजलास सुनाया गया प्रकरण फंक्शनल सुधार हेतु
नम्बर 6 कम है।

ed

(रियासती)
IAS